संख्या-128/2023/1600/22-2-2022-17(404)/2020

प्रेषक,

सुरेश कुमार पाण्डेय,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊ दिनांक 31 मार्च, 2023

विषय:- जिला कारागार, गोण्डा में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी गणेश गोस्वामी पुत्र श्री रसिक लाल, निवासी जनपद-गोण्डा की दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-14703/प्रोबे0-5-दया0 बैठक-16-03-2022 दिनांक-09-05-2022 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार जिला कारागार, गोण्डा में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी गणेश गोस्वामी पुत्र श्री रसिक लाल, जो ग्राम-कुंवरपुर अमरहा, थाना-कर्नलगंज, जनपद-गोण्डा का रहने वाला है। बन्दी द्वारा दिनांक 29.08.1993 को 01 सहअभियुक्त के साथ मिलकर रिवाल्वर से गोली मारकर 01 महिला की हत्या कर दी गई। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-10/1994 में धारा-302/34 आई0पी0सी0 के अन्तगर्त मा0 अपर सत्र न्यायाधीश/द्रुतगामी न्यायालय कक्ष सं0-03, गोण्डा के आदेश दिनांक 02.07.2008 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। बन्दी की अपील माननीय उच्च न्यायालय में लम्बित है। बन्दी द्वारा दिनांक 02.09.2021 तक 14 वर्ष, 06 माह 21 दिन की अपरिहार सजा तथा 16 वर्ष, 09 माह, 09 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। जिला मजिस्ट्रेट एवं पुलिस अधीक्षक, गोण्डा द्वारा बंदी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। दयायाचिका समिति ने बन्दी की उम्र 48 वर्ष तथा पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, गोण्डा द्वारा समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं किये जाने के दृष्टिगत सभी बिन्दुओं पर सम्यक विचारोपरान्त समिति द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- अत: उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि विषयांकित बन्दी गणेश गोस्वामी (बन्दी संख्या-1103/17) पुत्र श्री रसिक लाल, निवासी जनपद-गोण्डा की संविधान के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त राज्यपाल महोदया द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। कृपया उपरोक्त से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

सुरेश कुमार पाण्डेय
विशेष सचिव।

संख्या-128/2023/1600/22-2-2022तद्दिनांक...

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, गोण्डा।
2- अधीक्षक, जिला कारागार गोण्डा।
3- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार), कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
4- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
5- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

कृष्ण कुमार सिंह
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।